उपायुक्त का कार्यालय, लातेहार।

(जिला विकास शाखा)

आम सूचना।

सरकार के सचिव पर्यटन,कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,झारखंड सरकार,रांची के ज्ञापांक– 1556 दिनांक– 06.09.2016 के आलोक में लातेहार जिला के **"मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना"** अन्तर्गत योग्य एवं इच्छुक तीर्थ यात्री से आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है –

i. आवेदन प्राप्त करने की तिथि एवं समयः– 07.12.2016, अपराह्न 5:00 बजे तक।

ii. आवेदन जमा करने का स्थानः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला लातेहार एवं जिला विकास शाखा, लातेहार।

2. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन संबंधित अन्य शर्तेः-

   1. तीर्थ यात्री का उम्र 60 वर्षो से अधिक हो एवं झारखंड राज्य का स्थायी निवासी हो।
   2. तीर्थ यात्री को लातेहार जिला का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
   3. तीर्थ यात्री का नाम बी0पी0एल0 सूची में दर्ज हो।
   4. उक्त योजना अन्तर्गत पूर्व में लाभान्वित ना हो।
   5. तीर्थ यात्री के साथ एक घर के सदस्य को भी साथ रहना होगा (स्वयं/ पत्नी/ घर का सदस्य) जिसका आवेदन साथ में जमा किया जायेगा।
   6. तीर्थ यात्री शारीरिक एवं मानसिक रूप से सही एवं योग्य पाये जाने के उपरांत ही तीर्थ यात्रा की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा किसी भी प्रकार की संक्रमण रोग जैसे टी0बी0 (सांस लेने में परेशानी) हृद्य रोग, कोढ़ आदि रोग से ग्रसित ना हो।
   7. उक्त योजना अन्तर्गत आवेदक द्वारा दी गई जानकारी गलत पाये जाने की स्थिति में योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है।
   8. आदेवन पत्र प्रखंड कार्यालय एवं जिला विकास शाखा, लातेहार में निःशुल्क उपलब्ध है।

3. उक्त आम सूचना को **www.latehar.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

ह0 / –

उपायुक्त,लातेहार।